

व्यापार संगठनों ने राजस्थान सरकार से नविश नीतियों में बदलाव करने का आग्रह किया चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान में व्यापार निकायों ने राज्य को नविशक-अनुकूल बनाने के लिये राजस्थान नविश प्रोत्साहन योजना (RIPS) और मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) जैसी नीतियों को बदलने का अनुरोध किया।

मुख्य बटु:

- RIPS नीति में नविशकों को **राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST)**, वदियुत शुल्क, भूमिकर, स्टॉप शुल्क आदिपर सबसडिी मलिती है।
- MLUPY योजना राज्य में उद्यमों की स्थापना को सुवधलजनक बनाने और रोजगार सृजन के लयि रयललतल बैंक ःरण प्रदान करती है।
- एसोसिएटेड चैंबरस ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडलल (एसोचैम) के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के प्रमुख सचवि, उद्योग और वलणजिय से मुलाकलत की।
 - इसमें बताया गया है क RIPS के तहत ब्याज ललभ सलवध ःरण पर उपलब्ध थे, लेकनल कर्यशील पूंजी ःरण पर नहीं।
 - प्रतिनिधिमंडल ने योजनाओं के बारे में उद्योग-व्यापी जागरूकता कर्यक्रम चलाने का अनुरोध कयल।
 - इसने यह भी अनुरोध कयल क भंडारण क्षेत्तर को उद्योगों के पूरवलवलोकन के तहत कवर कयल जाए।

राजस्थान नविश प्रोत्साहन योजना (RIPS)

- राज्य में तीव्र, सतत् एवं संतुललत औद्योगिक वकलस को बढ़लवल देने के लयि **17 दसंबर, 2019** से 'राजस्थान नविश प्रोत्साहन योजना-2019' लागू की गई।
- इसमें वनलरलमाण और सेवा क्षेत्तर के उद्योगों में नए नवलश के लयि **7 वर्ष के SGST**, वदियुत कर स्टलम्प डयूटी का **75% रचलरज** भी कयल जा रहा है।
 - इसके सलथ ही मंडी शुल्क में 100 फीसदी जैसी रयललतें भी दी जा रही हैं।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY)

- यह योजना राज्य में उद्यमों की स्थापना को सुवधलजनक बनाने और समाज के सभी वर्गों को रोजगार सृजन के नए अवसर प्रदान करने के लयि वत्तलतीय संस्थानों के माध्यम से रयललतल बैंक प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
- योजना के तहत वत्तलतीय संस्थानों जैसे (राष्ट्रीयकृत वलणजियक बैंक, नजीी क्षेत्तर के अनुसूचित वलणजियक बैंक, अनुसूचित लघु वत्तल बैंक, क्षेत्तीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वत्तलतीय नगलम, सडिबी एवं शहरी सहकारी बैंक) के माध्यम से वनलरलमाण, सेवा और व्यावसलयिक उद्यमों के लयि ःरण प्रदान कयल जाएगा।